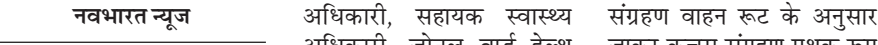


स्वरस्थ किडनी, स्वरस्थ जीवन, स्वरस्थ पृथ्वी यहाँ हमारे उज्ज्वल जीवन की नींव :- डॉ. पाटिल



फाल्गुन १२ मार्च. स्वच्छ सर्वेक्षण २०२५-२६ की तैयारी के लेखक अपर आयुक्त श्री टी. प्रदीप राव ने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ ही आईसीटी के सदस्यों के साथ समीक्षा बैठक की तथा स्वच्छ सर्वेक्षण को लेकर पूरी सक्रियता के साथ कार्य करने के निर्देश दिए। बैठक में स्वास्थ्य स्वच्छता अधिकारी डॉ. विवेक श्रवास्तव, नोडल एसबीएम सहित सभी स्वास्थ्य अधिकारियों एवं आईसीटी टीम उपस्थित रही। बाल भवन स्थित अपर आयुक्त ने कर्मचारियों को दिए दिशा निर्देश

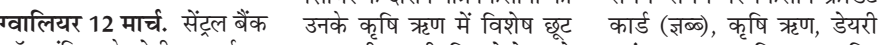
नवीन दिल्ली भवन में आयोजित बैठक में मुख्य रूप से सभी घटकों पर बिंदुवार चर्चा की गई जिसमें जमीनी स्तर पर की कार्यवाही को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिये गये। जिसमें सभी घरों में डोर टू डोर की चर्चा से परिवहन तथा प्रसंस्करण हेतु प्रसंस्करण स्थल पर भिजवाया जाना सुनिश्चित करे। सभी शौचालयों, बाजारों फुटपाथ सभी बैंकलेन की सफाई, तय सीमा में सेफ्टी टैंक की सफाई (तीन सप्ताह में एक बार अधिकृत ऑपरेटर के द्वारा ही कराया जाना सुनिश्चित करें। शहर के सभी बाड़ों से कचरे को पूर्ण रूप से संग्रहण करना तथा सफाई आदि बिंदुओं पर विस्तृत चर्चा की गई।

नवीन टीएलसी भवन में आयोजित बैठक में मुख्य रूप से सभी घटकों पर बिंदुवार चर्चा की गई जिसमें जमीनी स्तर पर की कार्यवाही को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिये गये। जिसमें सभी घरों में डोर टू डोर की कचरा

संरक्षण वाहन रूट के अनुसार जाकर कचरा संग्रहण पृथक रूप से परिवहन तथा प्रसंस्करण हेतु प्रसंस्करण स्थल पर भिजवाया जाना सुनिश्चित करें। सभी गोचालयों, बाजारों फुटपाथ एवं बैकलेन की सफाई, तथा सीमा में सेम्पटी टैंक की सफाई (तीन साल में एक बार अधिकतम अपरैटर के द्वारा ही कराया जाना सुनिश्चित करें)। शहर के सभी वार्डों से कचरे को पूर्ण रूप से संग्रहण करना तथा सफाई आदि बिंदुओं पर विस्तृत चर्चा की गई।

दिनेश कुशवाहों के निर्देशन में लापरवाही बरतने पर नोडल अधिकारी मदाखल एवं एबीसी सेंटर श्री केशव चौहान, प्रभारी सहायक यंत्री जनकार्य विभाग क्षेत्रीय कार्यालय क्रमांक 22 उपयंत्री श्री रजनीश गुप्ता, कार्यरत क्षेत्राधिकारी क्षेत्रीय कार्यालय 22 उपयंत्री श्री उत्पल सिंह भदौरिया, राजस्व निरीक्षक सम्पत्तिकरण विभाग श्री संगम अग्रवाल, प्रभारी मदाखलत अधिकारी ग्वालियर पूर्व विधानसभा श्री सतेन्द्र भदौरिया, उद्यान पर्यवेक्षक पार्क विभाग श्री दिनेश कुशवाह को कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया। नगर निगम आयुक्त श्री संजय प्रिय द्वारा जारी आदेशानुसार नोडल अधिकारी मदाखल एवं एबीसी सेंटर श्री केशव चौहान द्वारा सीएम हेल्प लाइन पर प्राप्त शिकायतें जिसमें अस्थाई अतिक्रमण की 26, आवारा पशु प्रबंध की 47 एवं आवारा श्वानों की 244 शिकायतों का निराकरण नहीं करने पर, प्रभारी सहायक यंत्री जनकार्य विभाग क्षेत्रीय कार्यालय क्रमांक 22 उपयंत्री श्री रजनीश गुप्ता द्वारा सड़क निर्माण कार्य का अनुबंध के उपरांत कार्याधि जारी नहीं करने एवं सीएम हेल्प लाइन पर प्राप्त शिकायतों अटेंड नहीं करने पर, कार्यरत क्षेत्राधिकारी क्षेत्रीय कार्यालय 22 उपयंत्री श्री उत्पल सिंह भदौरिया द्वारा सड़क निर्माण कार्य का अनुबंध के उपरांत कार्याधि जारी नहीं करने पर, राजस्व निरीक्षक सम्पत्तिकरण विभाग श्री संगम अग्रवाल द्वारा सीएम हेल्प लाइन पर प्राप्त शिकायतों को अटेंड नहीं करने पर, प्रभारी मदाखलत अधिकारी ग्वालियर पूर्व विधानसभा श्री सतेन्द्र भदौरिया द्वारा सीएम हेल्प लाइन पर प्राप्त शिकायतों जिसमें अस्थाई अतिक्रमण की 28, आवारा पशु की 26 एवं आवारा श्वान की 108 शिकायतों का निराकरण नहीं करने पर एवं उद्यान पर्यवेक्षक उद्यान पार्क विभाग श्री दिनेश कुशवाह द्वारा क्षेत्रांतर्गत भ्रमण कर असुरक्षित पेड़ों की समय समय पर कटाई एवं छटाई नहीं करने पर कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया।

अग्रवाल महिलाएं करेंगी गणगौर माता की पूजा



ग्वालिपर के अंतर्गत आने वाली सभी जिलों - ग्वालिपर, भिंड, मुरैना, शिवपुरी, दतिया, रथोपरकला में 16 मार्च को कृषक ऋण मोचन योजना के अंतर्गत विशेष कृषक ऋण मोचन शिविर (कैंप) का आयोजन किया जा रहा है। इस शिविर का उद्देश्य किसानों को उनके ऋण संबंधी मामलों में राहत प्रदान करना तथा उनकी समस्याओं का त्वरित	बकाया ऋण का सरलता से निस्तारण कर सकें। साथ ही किसानों को कृषक ऋण मोचन योजना से संबंधित विस्तृत जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी तथा बैंक अधिकारियों द्वारा उन्हें आवश्यक मार्गदर्शन भी दिया जाएगा। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया देश के किसानों के आर्थिक सशक्तिकरण एवं उत्थान के लिए	योजनाओं के माध्यम से किसानों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाती है, जिससे उनकी कृषि गतिविधियों को मजबूती मिल सके और उनकी आय में वृद्धि हो सके। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की यह पहल किसानों को राहत प्रदान करने तथा उन्हें बैंकिंग सेवाओं से जोड़कर उनके समग्र विकास और समृद्धि को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
--	---	--

बकाया ऋण का सरलता से निस्तारण कर सके। साथ ही किसानों को कृषक ऋण मोचन योजना से संबंधित विस्तृत जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी तथा बैंक अधिकारियों द्वारा उन्हें आवश्यक मार्गदर्शन भी दिया जाएगा।

सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया देश के किसानों के आर्थिक सशक्तिकरण एवं उत्थान के लिए

योजनाओं के माध्यम से किसानों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाती है, जिससे उनकी कृषि गतिविधियों को मजबूती मिल सके और उनकी आय में वृद्धि हो।

सेट्रल बैंक ऑफ इंडिया की यह पहल किसानों को राहत प्रदान करने तथा उन्हें बैंकिंग सेवाओं से जोड़कर उनके समग्र विकास और समृद्धि को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

ग्वालियर 12 मार्च. कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेड्स (कैट) का "कैट क्रिकेट प्रीमियम लीग" चौथा संस्करण है। इसका शुभारंभ 13 मार्च को प्रातः 11 बजे केप्टन ग्वालियर और डबरा की महिला टीम में एक दिवसीय मैच के साथ टीम मेच का विशेष आकर्षण रहेगा। 8 टीमों के कैट ग्वालियर की हैं। रोमांचक मेचका प्रदर्शन करेंगी उदघाटन के अवसर पर खेलने वाली टीमों में से एक है।

फ्लेट लाइट में रखा है। साथ ही डबरा एवं शिवपुरी की पुरुष टीम ग्वालियर और डबरा की महिला टीम मेच का विशेष आकर्षण रहेगा। 8 टीमों कैट ग्वालियर की हैं ज रोमांचक मेचका प्रदर्शन करेंगी। उदघाटन के अवसर पर सभ

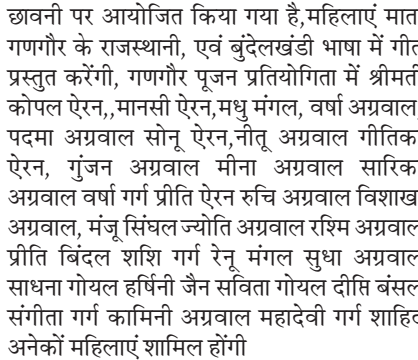
उज्जयिनी मंत्री प्रद्युम्न सिंह कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे

रूप सिंह स्टेटियम में केन्द्रीय संचार मंत्री ज्योतिरावित्त्य सिंधिया करेंगे। कार्यक्रम की अध्यक्षता मध्य प्रदेश शासन के ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर करेंगे।

मुख्य संयोजक आकाश जैन ने बताया कि इस बार मैच 14-15 मार्च शनिवार और रविवार को

ग्वालियर 12 मार्च. गणगौर उत्सव सभी समाजों में हर्ष और उल्लास के साथ मनाया जाता है. इस कार्यक्रम को अग्रवाल समाज परिचय समिति द्वारा 14 मार्च को श्री श्री गणगौर महोत्सव के रूप में मनाया जा रहा है जिसमें अग्रवाल समाज की सभी महिलाएं

सामूहिक रूप से माता गणगौर
अथवाल परिचय सम्मेलन के रात
ऐरन ने बताया कि महिलाएं माता
गौरा की मूर्ति को सुंदर तरीके से
महिलाओं के लिए सुपर ड्रेस गण
आयोजित की गई है जिसमें पूजा
सुंदर परिधान में दिखने वाली माता
एवं द्वितीय पुस्कारा से सम्मानित
लिए 11 महिलाओं की आयोजन
जिसमें श्रीमती नीलम शाह, मा
तायल, पूनम अग्रवाल, मीरा अग्रवा
14 मार्च को दोपहर 3 बजे से प्रिय



नवभारत न्यूज

ग्यालियर 12 मार्च. कृषि विज्ञान केन्द्र, ग्यालियर द्वारा अनुसूचित जाति उपयोगिता अंगत अनुसूचित जाति वांग के विद्यार्थियों हेतु तीन दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय, ग्यालियर में आज प्रारंभ हुआ जो पोषक तत्वों से भरपूर खाद्य पदार्थों के निर्माण के क्षेत्र में उद्यमिता विकास पर आधारित है। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय, ग्यालियर के कुलसचिव डॉ. अजय कौशल ने विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए कहा कि सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं का लाभ उठाकर विद्यार्थी स्वयं स्वरोजगार संचालन कर अपनी परिवारिक आर्थिक स्थिति को मजबूत कर सकते हैं। तकनीकी सत्र में विद्यार्थियों को राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय, ग्यालियर के निदेशक विस्तार सेवाएं डॉ. राजवाय.पी. सिंह द्वारा जैविक एवं संरक्षित खेती की विभिन्न उन्नत तकनीकों की विस्तार से जानकारी दी गई जिससे मृदा रूप ले सके।

कृषि विज्ञान केन्द्र, ग्यालियर के विरष्त वैज्ञानिक एवं प्रमुख डॉ. शैलेन्द्र सिंह कुशवाहा ने विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए कहा कि खाद्य प्रसंस्करण उद्योग में स्वास्थ्यवर्धक, प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों के उत्पादन में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमियों के लिए अपार अवसर मौजूद हैं। इसी क्रम में डॉ. अमिता शर्मा द्वारा सहजजन का औषधीय उपयोग एवं मानव स्वास्थ्य में उसके महत्व पर प्रकाश डाला।

कार्यक्रम की संयोजक डॉ. रीता मिश्रा, विरष्त वैज्ञानिक ने बताया कि जैविक रूप से भरपूर खाद्य पदार्थों के विकास के लिए समकालीन तकनीकों पारंपरिक कृषि ज्ञान को आधुनिक विज्ञान से जोड़ रही हैं। साथ ही उन्होंने समकालीन प्रौद्योगिकियां एवं उद्यमिता विकास हेतु फोर्टिकाइड एवं बायोफोर्टिकाइड खाद्य पदार्थों के निर्माण के बारे में विस्तार से बताया।

कार्यक्रम का संचालन डॉ. राजीव सिंह चौहान द्वारा किया गया। कार्यक्रम के सफल क्रियान्वयन में डॉ. रश्मि बाजपेई की सराहनीय भूमिका रही।

स्वास्थ्य को संरक्षण करते हुए एक स्वास्थ्य परिकल्पना साकार रूप ले सके।

कृषि विज्ञान केन्द्र, ग्वालियर के वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं प्रमुख डॉ. शैलेन्द्र सिंह कुशवाह ने खाद्यार्थियों को संबोधित करते हुए कहा कि खाद्य प्रसंस्करण उद्योग में स्वास्थ्यवर्धक, प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों के उत्पादन में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमियों के लिए अपार अवसर मौजूद हैं। इसी क्रम में डॉ. अमिता शर्मा द्वारा संजय का औषधीय उपयोग एवं मानव स्वास्थ्य में उसके महत्व पर प्रकाश डाला।

कार्यक्रम की संयोजक डॉ. रीता मिश्रा, वरिष्ठ वैज्ञानिक ने बताया कि जैविक रूप से भरपूर खाद्य पदार्थों के विकास के लिए समकालीन तकनीकें पारंपरिक कृषि ज्ञान को आधुनिक विज्ञान से जोड़ रही हैं। साथ ही उन्होंने समकालीन प्रौद्योगिकियाँ एवं उच्चतम विकास हेतु फोर्टाफाइड एवं बायोफोर्टाफाइड खाद्य पदार्थों के निर्माण के बारे में विस्तार से बताया।

कार्यक्रम का संचालन डॉ. राजीव सिंह चौहान द्वारा किया गया। कार्यक्रम के सफल क्रियान्वयन में डॉ. रश्मि बाजपेई की सहायनीय भूमिका रही।

नवभारत न्यूज

ग्यालियर 12 मार्च, आईटीएम यूनिवर्सिटी ग्यालियर में गुरु तेग बहादुर साहिब जी की शहादत का 350वां जयंती वर्ष के उपलक्ष्य में दो दिवसीय वार्षिक काव्य श्रृंखला 'भारतीय भक्ति काव्य परम्परा' सर्ग-2 के तहत श्री गुरु नानक देव जी को समर्पित विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया। द्वितीय दिवस संस्थान के सिथौली परिसर स्थित स्थित डॉ. राममनोहर लोहिया सभागार में आयोजित विचार गोष्ठी में 'एक नूर ते सब जग उज्य्या', 'भारतीय भक्ति काव्य परम्परा में गुरु नानक देव जी का योगदान' और 'गुरु ग्रंथ साहिब की निर्मित का इतिहास' विषयों पर व्याख्यान हुए। इस गोष्ठी पर वक्ता के रूप में प्रोफेसर जगबीर सिंह, प्रोफेसर माधव हाड़ा और प्रोफेसर सुमेल सिंह सिद्धु शामिल हुए। इस अवसर पर प्रोफेसर निवेदिता सिंह, सुरदीप सिंह, आईटीएम यूनिवर्सिटी ग्यालियर के फ़ंडर चंसलर श्री रमेशांकर सिंह, प्रो-चंसलर डॉ. दौलत सिंह चौहान, वाइस चंसलर प्रोफेसर योगेश उपाध्याय, रजिस्ट्रार डॉ. ओमवीर सिंह, आईटीएम ग्यालियर की डायरेक्टर डॉ. मीनाक्षी मजूमदार, डॉ. प्रभा दीक्षित, रश्मि पांडे, प्रिऊषा नरवरिया सहित, विभिन्न विभागों के विभागध्यक्ष, डीन, प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर, देशभर से

आए व्याख्याता, कला समीक्षक, गुरुद्वारा कर्मठी पूलवाक, गुरुद्वारा दाताभट्टी छोड़ के पदाधिकारी, सिख संगत, सिख समुदाय के लोग और बड़ी संख्या में छात्र-छात्राएँ मौजूद रहे। वहीं कार्यक्रम का अरुण कुमार त्रिपाठी द्वारा किया गया। गोष्ठी में प्रथम वक्ता प्रोफेसर जगबीर सिंह ने 'एक नूर ते सब जग उज्य्या (गुरु नानक देव जी के दर्शन में समता का आदर्श) विषय पर व्याख्यान दिया। उन्होंने कहा कि गुरुवाणी का आरम्भ गुरु ग्रंथ साहिब में आने वाले मूल मंत्र एक ओंकार सतनाम से होता है। प्रोफेसर सिंह ने कहा कि सन् 1885 में लॉर्ड मैकाले द्वारा शिक्षा प्रणाली में किए गए परिवर्तनों के बाद भारतीय भाषाओं और पारंपरिक ज्ञान प्रणाली को धीरे-धीरे पीछे कर दिया गया। इसलिए आज आवश्यकता है कि हम अपनी ज्ञान परम्परा को उसके मूल स्रोत में समझे। प्रोफेसर माधव हाड़ा ने ' भारतीय भक्ति काव्य परम्परा में गुरु नानक देव जी का योगदान' विषय पर व्याख्यान दिया। प्रोफेसर सुमेल सिंह सिद्धु ने गुरु ग्रंथ साहिब की निर्मित का इतिहास विषय पर अपना व्याख्यान दिया। उन्होंने कहा कि भारतीय बौद्धिक परम्परा में हरिश्चंकर परसाई, कालिदास

और ज्ञानरंजन जैसे रचनाकारों का महत्वपूर्ण स्थान है। वक्ताओं ने दिए छात्र-छात्राओं के सवालों के जवाब। आईटीएम यूनिवर्सिटी ग्यालियर में 'भारतीय भक्ति काव्य परम्परा' के अंतर्गत संस्थान के सिथौली परिसर स्थित डॉ. राममनोहर लोहिया सभागार में आयोजित विचार गोष्ठी के अवसर पर सवाल-जवाब सत्र का भी आयोजन किया गया। जहाँ उपस्थित वक्ताओं ने छात्र-छात्राओं और सभागार में उपस्थित प्रोफेसरों ने अन्य के सवालों के जवाब देकर उनकी जिज्ञासाओं को शांत किया। वहीं अंत में अंत में आईटीएम ग्यालियर की डायरेक्टर डॉ. मीनाक्षी मजूमदार ने सभी वक्ताओं और प्रतिभागियों का आभार व्यक्त किया।

नामानक विज्ञप्ति/संशोधन सूचना
एतद द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि दिनांक 07-03-2026 को प्रकाशित नामांकन सूचना में त्रुटिस्थ आवेदक का नाम रावेश कुमार शायक / छोट्टम नाश्व गलत छुआ गया है जिसका वास्तविक आवेदक का नाम राजेन्द्र कुमार शायक पुत्र छोट्टे लाल शायक पड़ा जावे। आवेदक का कार्य क्रमांक 06 / 2010/76661/73869 पड़ा जावे क्षेत्र क्रमांक 01 वाई क्रमांक 04 शेष यथावत रहेगा।
पता - चन्द्र नगर, ग्यालियर

अयोध्यास्थानकर्ता केनरा बैंक के प्राधिकृत अधिकारी होते हुए वित्तीय आसित्यों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण और प्रतिभूति लिख प्रवर्तन अधिनियम, 2002 की धारा 13 (12) प्रतिभूतिपत्र (प्रवर्तन) परियोजना के नियम 3 के अंतर्गत प्रवर्तन शक्तियों का प्रयोग करने हेतु निर्माणाधीन ऋणधारियों को निम्न खातों के सामने बतौर राशि एवं उपर प्रकाश राशि एवं संचित निधि राशि प्राप्त के 60 दिन के समय अवधि के भुगतान करने हेतु निर्देशित किया गया था ऋणी निर्माता समूह सीमा में ऋण का भुगतान करने में असफल रहे हैं। अतः ऋणी/जमानतदार एवं सर्वसाधारण को एवम् द्वारा सूचना दी जाती है कि अयोध्यास्थानकर्ता द्वारा उपर अधिनियम की धारा 13 (14) संशुद्धित उपधारा (ब) एवं (घ) के अंतर्गत निचे वर्णित संपत्ति का अधिग्रहण कर लिया है। ऋणप्रहरीता को विशिष्टता और सर्वसाधारण को सामान्यतः अधिकार निर्माणाधीन संपत्ति के साथ कोई व्यवहार नहीं करनी की चेतावनी दी जाती है। और संपत्ति के साथ कोई व्यवहार निम्न खाते के सामने बतौर राशि एवं उपर प्रकाश के लिए केनरा बैंक की संविदा धारा 6 के अधीन होगा। ऋणी एवं जमानतदारों का ध्यान पुरुरीक्षित परियोजनाओं को उपलब्ध समूह में खुदने (Redeem) करने के संबंध में अधिनियम की धारा 8 (8) के प्रावधानों के तहत आवश्यक किया जाता है।	केनरा बैंक के प्राधिकृत अधिकारी राशि नोटिस के अनुसार राशि बैंच कर सीधे संपत्ति का विवरण
ऋणी एवं संपत्ति मालिक/जमानतदार का नाम शाखा: केनरा बैंक, सिटी सेंटर, Ph. 79838-30415, E-mail : cbi17781@canarabank.com	राशि: ₹ 3,19,707.21/- + बाय एवं अन्य खर्च-वसूली मार्ग नोटिस दिनांक 02-12-2025 कक्षा दिनांक 09-03-2026
संपत्ति स्थान :- श्री मोहन अग्रवाल पुत्र जगदीश प्रसाद अग्रवाल, पता :- भारा टोंकीज रोड, अशोक मोहल्ला, शिदे की छावनी, लखर, ग्वालियर, जिला - ग्वालियर, 474001.	संपत्ति स्थान :- श्री मोहन अग्रवाल पुत्र श्री जगदीश प्रसाद अग्रवाल - दुकान के EMT, साइट का एरिया 22.10 वर्गमीटर है, ग्राउंड स्तर पर है, ग्राउंड नंबर - 57, म्यूनिसिपल हाउस नंबर -1580, पुराने हाउस नंबर के सामने, लखर, तहसील और जिला -ग्वालियर, म.प्र. - 474001. कुर - सीमाएं :- मोहन लक्ष्मीविकल्प के प्राप्ती शीप, पश्चिम: फूड शीप की प्राप्ती शीप, उत्तर: म्यूनिसिपल रोड, दक्षिण: कुर की प्राप्ती हाउस।
स्थान: ग्वालियर	दिनांक: 12/03/2026 प्राधिकृत अधिकारी केनरा बैंक

एतद् द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि
नगर निगम विधानस्थ क्षेत्र के अन्तर्गत भी सम्पत्ति श्रेणी क्रमांक २१ वार्ड क्रमांक ५२ बनाम क्रमांक
युगा में स्थित हो जो कि थंवर सिंह राणा/हरनाम सिंह
राणा के नाम से नगर निगम में आर्ड्री क्रमांक
पर दर्ज है/नहीं है जिसका क्षेत्रफल ८०३ वर्ग फीट
उक्त सम्पत्ति को मेरे द्वारा रजिस्टर्ड विधेय पत्र
एमसी 14260202 और 19090697 दिनांक
24/01/2024 से प्रेषित किया गया है। उक्त सम्पत्ति का
मेरे द्वारा मध्य प्रदेश नगरपालिका निगम अधिनियम 1956
के अन्तर्गत धारा 167 के आशयों की पूर्ति
सम्पादित कर एवम् उपकर को वास्तुही हेतु बनाया जाये
आवेदन जननिष्ठा संधान केंद्र दिल्ली पर दिनांक
9/3/2026 को किया गया है, जिसका ऑनलाइन
अनुप्रयोग संख्या 14260202 और 19090697 है।

आपने दर्शन प्रपञ्च सेव्य 2000/16352 हि। उपर का सब
में यदि किसी को आपनित हो तो काव्यलिय आरुण नग
निगम ग्यालियर रिहति सेट्टर सम्पत्तिक विभा
निक क. 205, 202 में प्रकाशन दिनांक से 15 दिव
की अवधि में लिखित में अपनी आपनित में सुसलन
दस्तावेज सहित प्रस्तुत करें नित अनिवार्य पश्चात को
आपनित मान्य नही होना उक्त कार्यालय द्वारा
युक्तियुक्त नियम लिख जावे।।

विज्ञापित जारी दिनांक 12-3-2026

आनेक दुमकार नाम/पता
अनूप कुमार / भैरविया, नौतू/ अनूप कुमार
पता : गुड्डा ग्यालियर म.प्र .
मो. 9893103615

सुप्रीम कोर्ट द्वारा सर्व साधारण को सुविष्ट किया जाता है कि
नामांक निर्माण ग्यालियफर के अन्तर्गत भी समाप्त हो
नामांक 21 और क्रमांक 52 बना रहेगा र
नामानुस में रिप्लव है जोकि श्रीमती सान्ना / विजय प्रताप/र
शौलेन्द्र सिंह सेंगर के नाम से नाम संख्या निर्माण में आई
क्रमांक पर दर्ज है/जहाँ है जिसका थेकनफ 75
गैरगुफ है. उक्त समाप्त है. हमें द्वारा रजिस्टर्ड दिनांक
पर एमपी 42602022ए 1280951 दिनांक
26/12/2022 से प्राप्त किया गया है. उक्त समाप्त को
हमें द्वारा भ्रम प्रदेन नारा पालिका निर्माण अधिनियम
1976 के अन्तर्गत नारा 161 के अशरीयों की
समाप्तीकर एवं अन्य उपकर की वसुली हेतु नामांक
अनुसूचित जनजाति समाधान केन्द्र जिमसा पर दिनांक
9/3/2022 को किया गया है. जिमसा अंतर्गत

आदिवासी पत्र संख्या 26000165476 है। उक्त के संबंध में यदि किसी को आपति हो तो कार्यालय आयुक्त नगरीय मण्डल, वल्लिपुत्र सिटी सेंटर स्थित सम्यक्तरक विभागांकक सं. 205, 202 में प्रकाशन दिनांक से 15 दिवस के अंदर, लिखित में अपनी आपत्ति में सुसंगत प्रमाणों सहित प्रस्तुत कर नियत आपत्ति प्रणाली में आपत्ति मान्य नहीं होगी एवं उक्त कार्यालय द्वारा युक्तिकृत निर्णय लिया जायेगा।

विज्ञप्ति जारी दिनांक- 12-3-2026
आदिवाक का नाम/पता
ममता गुप्ता/ राजेश गुप्ता
पता: गुदुवा थालियार म.प्र.

एतद् द्वारा संचालन साधारण को सुविध किया जाता है कि नगर निगम गवर्निंग बॉडी के अंतर्गत भी सम्पत्ति के क्रमांक 21 अर्द्ध क्रमांक 5 प्रमाण क्रमांक.... स्थान जहाज नगर कालीनी में स्थित है जो कि मुन्ना का/मुन्नी बजिज अर्थात नी के नाम से नगर निगम में आंड़ी क्रमांक 100033 1066 पर दर्ज है/नी के अक्षरों का क्षेत्रफल 600 ग्रांउट है. उस सम्पत्ति को मेरे द्वारा किराये दे दिया है मुन्ना पर मुन्ना उपरत दिनांक से प्राप्त किया गया है. उस सम्पत्ति का मेरे द्वारा मध्य प्रदेश नगर पालिका निगम अधिनियम 1956 के अंतर्गत धारा 167 के आशयों की पूर्ति सम्पत्तिकर के अन्त उपकर की वसूली हेतु नामांकन आवेदन जमिनी सामान्य केन्द्र अर्थात् नगर दिनांक 11/3/2026 को किया गया है. इस क्रमांक ऑर्लाइन्ड आवेदन पर संख्या 26/2021/000003240 है. जिसके अंतर्गत में निम्न क्रमांक

2018 10 10 09:00:24) हे ज्ञान के सत्य में वाद विमल को आपाति हो तो कार्यालय आयुक्त नगर निगम ग्यालियर सिटी स्टेट स्थित सम्पातिक विभाग कक्ष क्र. 25, 2015/2016 म प्रकारान दिनांक से 15 दिवस की अवधि में लिखित में अपनी आपाति में सुसंगतन दरतादेव सहित होतु पद के नियम अवधि पश्चात कोई आपाति मान्य नहीं प्राणी पद उक्त कार्यालय द्वारा युक्तिकर निगम लिया जायेगा।

विज्ञप्ति जारी दिनांक/12-3-2026
आवेदक का नाम/पता
शहनजान, नोशदा, रशीद खान/ स्व. मुन्ना खान
पता: गुल ग्यालियर म प्र.
मो. 9827722875

एतद् द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि नगर निगम व्यावस्थित क्षेत्र के अर्न्तगत मेरे संपत्ति क्षेत्र 17, वाई के 38.5% निगम प्लॉट के 19, कान्ता एकनवत, हाडगाँव ग्वाँगो मे स्थित है जो कि प्रकश खत्री, गुलशन मेथरा / शादीलाल खत्री के नाम से नगर निगम मे आर्डर डी क्र 90001955546 पर रज्द है। जिसका क्षेत्रफल 755 म्.पै. है। उस संपत्ति को मेरे द्वारा रजिस्टर्ड विक्रय पत्र क्रं 000016 दिनांक 25.05.2021 पर 1740202.00 रु 10023 000016 दिनांक 23.02.2026 द्वारा प्राप्ति किया गया है। उस संपत्ति को मेरे द्वारा मधुप्रदेश नगर पालिका निगम अधिनियम 1956 अर्न्तगत धारा 167 के अंशों को पूर्ण संपत्तिक क्षेत्र के अन्तर्गत को वसुली हो नमाना न आवेदन जन्मिप सम्पत्ति के क्रम डोली वगैर आ के पुल, क्षेत्र 17, दिनांक 12.03.2026 को किया गया है। जिसका आवेदन कार्य क्रं 71/2010/58684/58876 प. क्र.... 3/11 है। उस क्र के संबंध मे नगर निगम को आपत्ति हो तो कायास्थित अधिक नगर निगम व्यावस्थित सिटी 2052 से स्थित संपत्तिक विभाग क क्रं 2052, 2026 में प्रकाशन दिनांक से 15 दिवस की अवधि में लिखित में अनिवार्य अप्ति मन्थन मसुम्मात संवत्स्र सहित प्रस्तुत करें। निमत अन्तर्ग पत्राकोई आपत्ति मान्य नहीं होगी एवं उस कार्यालय द्वारा युक्तियुक्त निर्णय लिया जावेगा।

आदेशक न गनप न पट्टा

योगेश अग्रवाल / मोहनलाल अग्रवाल
पता-कान्ता एकनवत हाडगाँव ग्वाँगो (म.प.)
विद्यार्थी जति दिनांक 20(20.20.26)

एतद् द्वारा संवसाधनाय को सूचित किया जाता है कि नगर निगम व्यापारिक क्षेत्र के अंतर्गत मेरी संपत्ति क्षेत्र क्र. २०, वार्ड क्रं. ५१, स्थान श्री कृष्ण कॉलोनी ग्वा0 में स्थित है जो कि मेरी निजी रेलु गुणाफन/कन्स्ट्रक्शन के नाम से नगर निगम में जमाई का क्र. 10002726701 पर दर्द है। जिसका क्षेत्रफल 430 वर्गफुट है। उक्त संपत्ति को मेरे द्वारा रजिस्टर्ड विवरण फॉर्म एम्पली 14260290/EM1282303 दिनांक 11.06.2020 द्वारा प्रास किया गया है। इस संपत्ति को मेरे द्वारा मध्य प्रदेश नगर पालिका निगम अधिनियम 1956 अर्गेंट भाग 167 के अनुसार को पूर्ति संपत्ति एवं अन्य उपकरणों की वस्तु हेतु नामांकन आवेदन उत्तराधिकारी के बजेट १२ सिंधी कॉलोनी बरार समाज के क्षेत्र, ३०, दिनांक १२.०३.२०२६ को किया गया है। जिसका आवेदन कार्य क्रं. 37/11/2016/65293/65362 पर, क्र. ७४/३४/७१ है। उक्त के संबंध में यदि किसी को आपत्ति हो तो कार्यालय आयुक्त नगर निगम व्यापारिक सीट संटर में स्थित संपत्तिकरण विभाग कक्ष क्रं. 205, 205 पर प्रकाशित नगर निगम संविधान २०१५ के अनुच्छेद २५ के अंतर्गत प्राप्त या १५ दिवस को अवधि में लिखित में अपने आपत्ति माह सुसंगत दस्तावेज सहित प्रस्तुत करें। नियत अवधि पश्चात कोई आपत्ति मान्य नहीं होगी एवं उक्त कार्यालय द्वारा चुकेन्द्रित निर्णय लिया जायेगा।

आमेदक को नाबरा वर

प्रमोद मोहित/राम साधुभाई शिंदे
पता- श्री कृष्ण कॉलोनी ग्वा0 (म.प्र.),
स्थितिज प्रांत दिनांक-१२.०३.२०२६

एकदश द्वावसेषाधारण को सुचित किया जाये कि नगर निगम ग्यालियरन के अंतर्गत नगरी सपलित कर क 19, वाड के 44 सस, बालाबाद का बाजार ग्याल के सस हो जो कि नगराधारक उम मधवारन पाण्डे/पाण्डुरा नगराधारक के नाम से नगर निगम के अड श्रेक पर दज है। जिसका क्षेत्रफल 1295.5 वार्ग है। उक्त सपलित के नाम पर दार रजिस्टर्ड विकारन प्रर जस्टिड विकरण प्रर क 1426200151074029 दिनांक 10.09.2015 द्वाा प्राा किया गया है। उक्त सपलित के नाम पर द्वाा मधवारन नगर पालिका निगम अधिनियम 1956 अंगंत प्राा 167 के अावार्थो को पूर्त सपलित कर अंन्य उक्तनिक को वसुली होना नामांकन आदतन उनकन समुमधारन केन महराज बाडा औधधारन हो उा 19, पर दिनांक 11.03.2026 को किया जाये। जिसका आवेतन कार्क क 8/28/2011/25226/25317 प्र. क्रू... 3/11 है। उक्त के संक्षम में यिद किसी को आवेतन हो तो कार्यालय आरुक्त नगर निगम ग्यालियरन श्रेक सेंटर मे स्थित सपलित कर विभाग कार्क 205.202.2 में प्रकाशन द्वाा क 5 से 15दस को अधवि में लिखित में अागी आवेतन गया सुसंगत स्टवेजिड सहित प्रदान करेगा। निवत आवेतन पतात को अाति मयुक्त नदी होणी एत उक्त कार्यालय द्वाा युक्तयुक्त निर्णय लिया जावेगा।

आवेदन का नगर पालिका

**श्रीमती सुषमा, विक्रम, विपाल
पारण्डे/ तानाजीराव पारण्डे
पत-बालाबाद का बाजार ग्याल (म.प्र.),
विपणन श्रेक दिनांक 12.03.2025**

नगर निगम ग्यालिकर के क्षेत्र अंतर्गत भी संश्लेषित है। क्र. ०३ वाई के ०७, भवन क्र. २२, पत्ता ७८७, ७८८, ७८९, रसावलीहार नाम भोगमन्थर, रसावली है जो कि श्री/भारती लिपि ज्ञाप्राप्त / श्री बनमाली प्रजापति के नाम से नगर निगम में आई हैं। १७.०३.२०२६ है जिसका क्षेत्रफल १००० मीटर है। अक्सर संश्लेषित को भी द्वारा रजिस्टर्ड विक्रय-पत्र नं. A16423939 दिनांक १७.०३.२०१८ के द्वारा प्राप्त किया गया है उस समय पति को भी द्वारा अधिपति देशर नाम पालिका निगम अधिनियम १९५६ अंतर्गत प्रा. १६७ के आधारे को पूर्ण सम्पत्तिकर पर अन्य उपकर की वसुली हेतु नामांकन आवेदन जन्मिभर सम्पत्ति के लक्ष्य पर है। क्र. ०३ पर दिनांक १२.०३.२०२६ को लुप्तप्राप्त है जिसका अधिनियम क्र. ७५/२०११/५५०५८/५४९८/५ पृ. ३/१११ है। ऊपर के संबंध में यदि किसी को आपत्ति हो तो कार्यालय आवृत्त, नगर निगम ग्यालिकर, लिटोरी सेक्टर में स्थित सम्पत्तिकर विभाग खण्ड ०२, २०२६ में प्रथम प्रमाणित को १५ दिनांक की अवधि में १५ प्रकरण बिलों के १५ दिनांक की अवधि में लिखित में अपनी आपत्ति वसुसंगत दस्तावेज आपत्ति प्रस्तुत करे। निम्न अवधि पश्चात् कोही संश्लेषित मयुक्त नहीं होगी एवं ऊपर कार्यालय द्वारा युक्तियुक्त निर्णय लिया जायेगा।

आवेदक का नाम/पता
श्रीमती शैल देवी - श्री मधुसुदन तिवारी
पता : प्लॉट क्र. ९८-९, रसावलीहार नाम भोगमन्थर, वाई-०७
दिनांक जारी दिनांक : १२-०३-२०२६

नगर निगम वार्षिकर के क्षेत्र अंतर्गत भी संघर्षित थे।
क्र.03 वाई.के.07, भवन क्र.905, यशवादी,
-2, सी.विहार, जगन्नाथपुर पर स्थित है जो वि.
श्री/श्रीमती रवि बाबयं / श्री ओमाप्रकाश केशव के नाम
से नगर निगम में आई थी. क्र. 10002414386
दिनांक 09.03.2026 है जिसका सेक्टर 1499 वर्गफुट है.
संपत्ति को बंधन रहजिस्टर्ड विक्रय-पत्र क्र.
A00778637 दिनांक 01.09.2025 व
द्वारा प्राप्त किया गया है उक्त संपत्ति का क्षेत्र द्वारा
अनुसंध प्रवेश नगर याचिका निगम अधिनियम 1956
अध्यादेश द्वारा 167 के आधारी की पूर्ण सम्पत्तिक
एवं अन्य उत्तरकी की दस्तूरी हेतु नामांकन आवेदन
निगम निगम समाजन केन्द्र लुधियाना क्र.03
दिनांक 09.03.2026 को किया गया है जिसका
आवेदन क्र.क. 75/2011/55028/54955,
क्र.क.3/11 है। उक्त के संबंध में यदि किसी को
आवेदान्त हो तो कार्यालय अपूर्ण, नगर निगम
वार्षिकर, सिटी रोड में स्थित सम्पत्तिको 15
दिनांक 2025, 2025 में प्रकाशन दिनांक के विषय
विवाद की अवधि में लिखित में अपनी आपत्ति मर
निरूपण कर देताउक्त सहित प्रस्तुत करें। निगम अथवा
सम्पत्तिको कोई संपत्ति नाम नहीं होने एवं उक्त
कार्यालय द्वारा युक्तिपूर्वक निर्णय लिया जायेगा।

आवेदक का नाम/पता

श्रीमती पद्माक्ष मांझी / श्री रवि मांझी

पता : प्लॉट क्र.-2, सी विहार, जगन्नाथपुर, वाई-07
दिल्ली राज्शी दिनांक:- 23-02-2026

नगर निगम व्यापिकर के क्षेत्र अर्गेंट मेरी संपत्ति के क्र. ०३ वाई.टी.०७, भूतन क्र. ९०५, स्थान :-
आई.टी.एम.एम.जेम जलानुपूर पर स्थित है जो निम्न :-
श्री/श्रीमती राजेन्द्र सिंह किरार / श्री सुवालाल किरार
किरार के नाम से नगर निगम में आई.टी. ०३ पर
पंजुन है। जिसका क्षेत्रफल ३४५० वर्गफुट है। उक्त
पंजुन के मेरे द्वारा जर्जरिस्ट क्रिश्य-प का
खसरा डाकनसम सर्वेक्षण क्र. 108/1 (K) के द्वारा
प्राप्त किया गया है उक्त संपत्ति का मेरे द्वारा म
प्रदेश नगर निगम अधिनियम अधिनियम १९५६ अंश
भाग १६७ के आधारे की पूर्ण संपत्तिकर एवं अ
उपकर की वसुली हेतु नामांकन आवेदन जमि
समाधान केन्द्र लुधियाना के क्र. ०३ पर दिनांक ११
०३.०२.०६ को किया गया है जिसका आवेदन का
क्र. 75/2011/55046/54973/३ प्र.क्र. ३/१
है। उक्त के संबंध में यदि किसी को आपत्ति हो
कार्यालय आवुक्त, नगर निगम व्यापिकर, सिव
सेक्टर में स्थित संपत्तिकर विभाग का क्र. २०२
२०२५ प्रकाशन दिनांक से १५ दिवस की अवधि
लिखित में अपनी आपत्ति मय सुसंगत दस्तावे
सहित प्रस्तुत करें। निम्न अवधि पश्चात् को
आपत्ति मय नहीं होगी एवं उक्त कार्यालय द्वा
युक्तितुक्त निर्णय लिया जायेगा।

आवेदक का नाम/पता
राजेन्द्र सिंह किरार / श्री सुवालाल किरार
पंजुन :- आई.टी.एम.जेम जलानुपूर, वाई-०७
द्वितीय जरी दिनांक :- ०३-१२-२०२६

निम्नम वायित्यर क्षेत्र अंतर्गत मेरी संग्रहित क्र. ब्र.
३० वार्ड क्र.०७, भवनाथ ...स्थान: जगन्नाथपुरा
स्थित है जो कि श्री/श्रीमती माला इंग्लो / श्री गंधे-
इंग्लो के नाम से नगर निगम में आई हैं. क्र. ...
दर्ज है। जिसका क्षेत्रफल १५०० वर्गफुट है।
नया घर बनाई जा रहा है जिस्टर्ड स्थिति-घर ब्र.
A/1292938 दिनांक 22.02.2024 के द्वारा
प्राप्त किया गया है उक्त सम्पत्ति का मेरे द्वारा म.
प्रदेश नगर पालिका निगम अधिनियम 1956 अंतर्गत
भाग 167 के अनुसार किसी भी पूर्णता प्राप्त करने
उपकरण की वसूली हेतु नमानक आवेदन जमा
सम्भाजन करने लूनुपुत्र है.क्र. ०३ पर दिनांक 17
०३.२०२६ को दिया गया है जिसका आवेदन क्र.
ब्र. 75/2011/55051/54978/ क्र. 3*/17
है। उक्त के संबंध में यदि किसी को आपत्ति हो
कार्यालय आयुक्त, नगर निगम वायित्यर, सिविल
सेक्टर में स्थित संपत्तिकरण विभाग कक्ष क्र. 202
पर 25 प्रकाशन दिनांक से 15 दिनों की अवधि
लिखित में अपनी आपत्ति या सुसंगत दस्तावेजों
सहित प्रस्तुत करेंगे। निम्न अधिषि एष्वक्त कोई आपत्ति
मान्य नहीं होगी पर उक्त कार्यालय द्वारा युक्तिपूर्वक
निष्पत्ति लिया जाएगा।

आवेदक का नाम ए/म.

विनोद कुमार बाथम / श्री सीताराम बाथम

श्रीमती नीलम वायधम / श्री गनपत बाथम

पता : जगन्नाथपुरा, वार्ड -०७

दिखापति जारी दिनांक: 12-०3-2026

[illegible]